भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 35

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)

आंध्र प्रदेश में युवाओं की बेरोज़गारी और रोज़गार की प्रवृत्तियां

35. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त राज्य में युवाओं की बेरोजगारी के विशिष्ट कारणों का आकलन किया है तथा गत दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का वर्ष एवं लिंग-वार ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार ने गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त राज्य में औद्योगिक इकाइयों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमाएसएमई) के बंद होने का रोजगार की प्रवृत्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2021-22 में 4.2% से घटकर वर्ष 2023-24 में 4.1% हो गई है तथा इसी अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में यह दर 3.5% से घटकर 3.4% और शहरी इलाकों में 6.0% से घटकर 5.9% हो गई है।

इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जनवरी 2025 से पीएलएफएस में बदलाव किए हैं। नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 कैलेंडर वर्ष (जनवरी 2025-दिसंबर 2025) के दौरान आयोजित वार्षिक रिपोर्टों की श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) आंध्र प्रदेश में 4.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में 3.4% और शहरी क्षेत्रों में 6.2% थी। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 16.2% थी।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) का शुभारंभ 01.07.2020 को किया गया था, 15.07.2026 तक, आईएमई सहित पंजीकृत उद्यमों की संख्या 9.0 करोड़ से अधिक है। उद्यम विभिन्न कारणों जैसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त होना, उद्यम का बंद होना, डुप्लिकेट पंजीकरण, कंपनी के मालिक में परिवर्तन और अन्य कारणों से पोर्टल पर अपना पंजीकरण निरस्त कराते हैं। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, उद्यम पंजीकरण पोर्टल की स्थापना से अब तक, लगभग 0.17 प्रतिशत एमएसएमई का पंजीकरण उद्यम बंद होने के कारण निरस्त किया गया है।

हालांकि, नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार का दर्शाने वाला वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2022 में 54.1% से बढ़कर 2025 में 57.4% हो गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना (जिसमें आन्ध्र प्रदेश के युवा भी शामिल हैं) सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), के माध्यम से, देश भर में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), प्रापण एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस), एमएसएमई कार्य निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (आरएएमपी), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैंपियन, पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई**)** ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए **'**फ्यूचर स्किल्स प्राइम**'** कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99**,**446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
